न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2017
RCMS Case No. 2017/00105

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गोविन्दसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति रावत, निवासी रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली 2. रूपसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावत निवासी रायराखुर्द तहसील सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13/03/2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत के नामान्तरकरण संख्या 326 स्वीकृत दिनांक 20.01.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि मौजा रायराखुर्द (रायरा कलां), पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत के खाता संख्या 567 खसरा नम्बर 2698/9 मीन रकबा 0.6400 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त स्थित है। जिसका नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 04.04.1988 को बिना एलोटमेन्ट केम्प के एलोटमेन्ट पत्र को आधार मानते हुए दिनांक 20.01.1992 को स्वीकृत कर दिया गया। जबकि दिनांक 04.04.1988 ग्राम रायरा में अथवा अन्य स्थान पर उपखण्ड अधिकारी सोजत के सानिध्य में एवं उनके अधीनस्थ एलोटमेन्ट करने की कोई मिटिंग आयोजित नहीं हुई। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 326 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व राजस्व कर्मचारियों ने आपसी मिलावट कर एक बहुत बडे रकबे खसरा नम्बर 2698/2938 मिन का गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। जैर अपील भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को न तो कभी कब्जा था तथा न ही आज है। उक्त भूमि पर मौके पर कब्जे बाबत एक फौजदारी प्रकरण भी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट व उसके भाईयों के विरूद्ध दर्ज करवाया गया था, जो की खारीज हुआ। जैर अपील भूमि पर पिछले 40 वर्षो से अपीलाण्ट का कब्जा र्निविरोध, बिना रोक–टोक के आज भी कायम है। जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो कोई सूनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही विधिक कार्यवाही का प्रयोग किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने जब दिनांक 16.08.2016 को जिला कलक्टर कार्यालय पाली से एलोटमेंट केम्प बाबत नकले प्राप्त की तब जैर अपील नामान्तरकरण के बारे में जानकारी होने पर श्रीमान के समक्ष अपील पेश की गई। जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें तथा

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

मौके पर कब्जा काश्त अपीलाण्ट का होने के कारण अपीलाण्ट के पक्ष में आवंटन आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित करावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजा रायराखुर्द (रायरा कलां), पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 652 खसरा नम्बर 2762/2698 रकबा 0.6400 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि रूपसिंह पुत्र मोतीसिंह कौम रावत की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वकील अपीलाण्ट का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि जैर अपील नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा तथाकथित आवंटन के आधार पर दायर किया गया है, जो आवंटन अस्तित्व में ही नहीं था। इस आधार पर नामान्तरकरण को खारिज कराने तथा मौके पर स्वयं का कब्जा होना बताते हुए स्वयं के नाम आवंटन आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित कराने का अनुतोष चाहा है। मूल नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम रायराकला खुर्द का नामान्तरकरण संख्या 326 उपखण्ड अधिकारी सोजत के आवंटन आदेश क्रमांक/280 दिनांक 04.04.1988 के अनुसार क्रम संख्या 43 पर दर्ज होने एवं मौके पर कब्जा काश्त होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 16.08.2016 को होना अंकित किया है एवं यही तथ्य अपील को अन्दर म्याद शुमार कराने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित किए है। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के चरण संख्या 9 में दिनांक 16.08.2016 को आवंटन कैम्प की प्रतिलिपी प्राप्त करने पर जानकारी होना बताया, जबकि जैर अपील नामान्तरकरण की नकल हेतु अपीलाण्ट द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2016 को प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 05.08.2016 को प्रतिलिपी प्रदान किया जाना अंकित है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा वादस्थ भूमि पर अपने कब्जे को प्रमाणित करने हेतु पटवारी हल्का खोडिया की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 31.08.1995 तथा फौजदारी कार्यवाही का उल्लेख किया है। इससे अपीलाण्ट के यह तथ्य कि उन्हे जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 16.08.2016

अति० जिला कलेक्टर, पाली

को हुई हो, समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों तथा दस्तावेजात् का परस्पर मिलान नहीं होता है। इस कारण अपील प्रथम दृष्टया म्याद बाहर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यदि गुणावगुण पर भी देखा जाए तो अपीलाण्ट द्वारा मौके पर आवंटी के अलावा तथाकथित अन्य व्यक्ति का कब्जा होने को आधार मानते हुए आवंटन पर संदेह व्यक्त करते हुए उक्त आवंटन के आधार पर दायर नामान्तरकरण की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। यदि अपीलाण्ट को उक्त आवंटन से शिकवा था, जिसके आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है तो इस Remedy हेतु विधि में समुचित उपचार उपलब्ध है। नामान्तरकरण अपील की परिधि में आवंटन को रेखांकित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा ग्राम रायरा खुर्द (रायरा कलां) के नामान्तरकरण संख्या 326 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.01.1992 को यथावत रखा जाता है। मूल नामान्तरकरण प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रेट, पाली एवं निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार सोजत को प्रेषित की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली